



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



फाइल नम्बर : 9-PBB308/2019-CHA

दिनांक : 12-02-2019

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक &
नोडल ऑफिसर) एफ० सी० ए०(
पंजाब सरकार, वन कॉम्प्लेक्स, सेक्टर, 68
एस० ए० एस० नगर) मोहाली, (पंजाब

विषय: Diversion of 31.42 ha. of forest land for Development of International standard Tourism/Theme Destination in state of Punjab on Pathankot-Dalhousie Road around Ranjit Sagar Lake area Forest Division and District Pathankot in favour of special Secreatry Government of Punjab, Department of Housing and Urban Development, Punjab (Online proposal no. FP/PB/Others/33014/2018).

सन्दर्भ: अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FC) एवं नोडल ऑफिसर (FCA), पंजाब सरकार के पत्र संख्या 1980/FCA/269/2018/1368 दिनांक 17.01.2019

महोदय,


मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन)संरक्षण (अधिनियम 1980 .की धारा 2-के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 31.42 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है। प्रस्ताव को इस कार्यालय में वन) संरक्षण (अधिनियम 1980-के नियमों के अनुसार विश्लेषण किया गया और पाया गया की इस प्रस्ताव में निम्नलिखित जानकारियों की कमी है जिन्हें शीघ्र जवाब भेजने का कष्ट करें।

2. अतः प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करें:-

- Layout Plan of project with area dimension on real scale to be submitted.
- KML file of ACA site along with ACA area details to be uploaded/provided.
- NOC from DTP and PPCB to be submitted.
- Details of approach to main project site & two islands to be submitted.
- Details of interior road and bridges, if any, to be submitted.
- The Legal status of left out land just outside project site to be clarified alongwith its mgt.
- Relevant information on management of land lying between proposed CA land and river to be furnished.

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय


12/02/19
(के० जेड० भुटिया)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

- Divisional Forest Officer, Forest Division & District Pathankot Punjab
- Special Secreatary, Govt. of Punjab, Department of Housing and Urban Development, Punjab